

GA-6
27/9/12

From: Ranjeet Kumar, Advocate

Bar Association, Patna High Court.

(Mobile No.9835297965) E-mail: advranjeet@gmail.com

To : 1.The Advocate General, Bihar.

C.W.J.C.No. of 2012

Shailesh Kumar Singh Petitioner

Versus

The State of Bihar & Ors. Respondents

Sirs,

Please take notice that I am filing writ petition under Article 226 of the Constitution of India on behalf on petitioner, copies of which are submitted for needful and necessary action.

Yours faithfully,

(Ranjeet Kumar)

(AOR NO.00234)

#

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No. of 2012

Shailesh Kumar Singh Petitioner

Versus

The State of Bihar & Ors. Respondents.

Sub: Trade and Commerce

I N D E X

<u>Sl.No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Page No.</u>
1.	An application under Article 226 of the Constitution of India.	1 to 15
2.	Annexure: 1: Photo copy of License of Fertilizer vide No. 201/09-10.	16
3.	Annexure: 2: Photo copy of proceeding of Khokhasi PACS dated 02.08.12.	17 - 18
4.	Annexure: 3: Photo copy of rent agreement.	19 - 20
5.	Annexure: 4: Photo copy of letter dated 10.08.12.	21
6.	Annexure: 5: Photo copy of inspection report dt. 03.09.12.	22 - 24
7.	Annexure: 6: Photo copy of FIR of Udakishunganj P.S.Case No. 122/12 along with the seizure list.	25 - 30
8.	Annexure: 7: Photo copy of Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002.	31 - 32
9.	Annexure: 8 & 8/1: Photo copy of receipt of purchase of fertilizer and stock register of the Khokhasi PACS.	33 - 34
10.	Annexure: 9: Photo copy of order dated 09.04.12 passed in CWJC No. 6411/12	35 - 37
11.	Vakalatnama.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No. of 2012

Shailesh Kumar Singh Petitioner
Versus

The State of Bihar & Ors. Respondents.

SYNOPSIS OF THE CASE

PRAYER : For issuance direction for release 710 bags of Fertilizer, 1950 bags of rice and 1615 bags of Paddy in favour of the petitioner, seized in connection with Udakishunganj Police Station Case No. 122 of 2012 instituted under section 7 of the Essential Commodities Act, to the satisfaction of learned Chief Judicial Magistrate, Madhepura on such terms as this Hon'ble Court deem fit and proper, subject to the result of criminal case and/or the confiscation proceeding, if any.

15.02.02 : Rice and paddy are free sale commodity in terms of Gazetted notification dated 15.02.2002 published by the order of Ministry of Consumer Affairs, Food and Civil Supply, Government of India i.e., Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on specified Foodstuffs Order, 2002.

31.07.12 : Petitioner is the Chairman of Khokhasi Primary Agriculture Credit Society, Gwalpara, Madhepura. License for the business of Fertilizer vide Registration No.201/09-10 w.e.f. 31.07.2012 was granted.

02.08.12 : Executive Body of Khokhasi PACS in its meeting held on 02.08.2012 taken decision that due to bad condition of road connecting the PACS, a godown be arranged at Udakishunganj and fertilizer for off-season would be stored

at Udakishunganj. Proposed godown at Udakishunganj would also be used at lifting point for the ready rice, since the rice has to be sent on truck to the F.C.I., and the Paddy received for Khokhasi PACS would also be stored at Udakishunganj to save the same from rainy season.

05.08.12: Petitioner arranged a Godown at Udakishunganj owned by Smt. Alta Devi and executed a rent agreement with her for period of 11 months w.e.f. from 05.08.2012 on monthly rent of Rs.11,000/-.

10.08.12: Vide letter dated 10.08.2012 the petitioner informed the District Supply Officer, Madhupara with a copy to the District Agriculture Officer, Madhepura, Assistant District Manager, Bihar State Food Corporation, Madhepura and Assistant Registrar of Co-operative Societies, Udakishunganj, Madhepura regarding the godown of Khokhasi PACS at Udakishunganj and the reason for the same has also been explained therein.

17.08.12: Khokhasi PACS has purchased total 66.25 MT i.e. 1325 bags of fertilizer. Out of the said 1325 bags of fertilizer, only 9 bags have been sold from Khokhasi PACS godown at Ramganj and rest of the bags of fertilizer is still available in the stock of the PACS.

01.09.12 : Additional Collector, Disaster Management, Madhepura on the direction of the District Magistrate, Madhepura conducted a surprise inspection of godowns and rice mill of the Khokhasi PACS on 01.09.2012 and found no irregularity either in storage of rice/paddy or running of Bara Rice Mill of Khokhasi PACS and reported the same to the District Magistrate, Madhepura vide letter dated 03.09.2012.

05.09.12 : Again on 05.09.2012 the respondent no. 5 and 6 have conducted the surprise inspection of the godown of PACS situated at Udakishunganj in absence of the petitioner and seized the Rice, Paddy and Fertilizers.

07.09.12 : On the basis of the letter dated 07.09.2012 of the Block Agriculture Officer, Murliganj addressed to the Officer-in-Charge of Udakishunganj Police Station, the Udakishunganj Police Station Case No.122 of 2012 has been registered for the offences under section 7 of the P.C. Act against the petitioner.

Annexure: 9 : This Hon'ble Court in CWJC No. 6411/012 vide order dated 09.04.2012 has been pleased to direct the release of Fertilizer.

Hence this writ application.

285


DEPARTMENT OF POST
BIHAR CIRCLE

भारत

STAMP DUTY

बिहार
JUDICIAL

COURT FEE



00000

RS ~ 0000285 ~

27.9.2012

आधिकारिक मुद्रा - आधिकारिक मुद्रा

INDIA

Zero Zero Zero Zero Two Eightive

2012 6304299

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No. of 2012

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India.

AND

In the matter of: -

Shailesh Kumar Singh, son of late Gauri Shankar Singh, resident of village Khokhasi Fara, Police Station Gwalpara, District Madhepura (PACS, President, Panchayat Khokhasi)Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through the District Magistrate, Madhepura.
2. The Block Agriculture Officer, Murliganj, Madhepura. . . . Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the Hon'ble High Court of Judicature at Patna and his companion Justice of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner abovenamed.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH: -

1. That this writ petition is being filed for issuance direction for release 710 bags of Fertilizer, 1950 bags of rice and 1615 bags of Paddy in favour of the petitioner, seized in connection with Udakishunganj Police Station Case No. 122 of 2012 instituted under section 7 of the Essential Commodities Act, to the satisfaction of learned Chief Judicial Magistrate, Madhepura on such terms as this Hon'ble Court deem fit and proper, subject to the result of criminal case and/or the confiscation proceeding, if any.

2. That the petitioner is a Citizen of India and the cause of action has arisen within the jurisdiction of this Hon'ble Court.

3. That the petitioner is the Chairman of Khokhasi Primary Agriculture Credit Society (hereinafter referred to as 'PACS'), Gwalpara, Madhepura. Under the said PACS Bara Rice Mill,

Khokhasi and the business of Fertilizer are also running. The said PACS was granted license for the business of Fertilizer vide Registration No. 201/09-10 w.e.f. 31.07.2010 for a period of three years.

Photo copy of License of Fertilizer vide No. 201/09-10 is annexed herewith and marked as Annexure: 1 to this petition.

4. That it is submitted that the Executive Body of Khokhasi PACS in its meeting held on 02.08.2012 taken decision that due to bad condition of road connecting the PACS, a godown be arranged at Udakishunganj and the petitioner being the Chairman was authorized for the same. It was also decided in the said meeting that fertilizer for off-season would be stored at Udakishunganj, as the Godown at PACS is small and the road connecting the PACS is also not in good condition.

5. That in the said meeting the Executive Body also decided that the proposed godown at Udakishunganj would be used at lifting point for the ready rice, since the rice has to be sent on truck

to the F.C.I., which was not possible from Khokhasi godown and the Paddy received for Khokhasi PACS would also be stored at Udakishunganj to save the same from rainy season.

Photo copy of proceeding of Khokhasi PACS dated 02.08.12 is annexed herewith and marked as Annexure: 2 to this petition.

6. That it is submitted that pursuant to the said resolution of the PACS the petitioner arranged a Godown at Udakishunganj owned by Smt. Alta Devi and executed a rent agreement with her for period of 11 months w.e.f. from 05.08.2012 on monthly rent of Rs.11,000/-.

Photo copy of rent agreement is annexed herewith and marked as Annexure: 3 to this petition.

7. That thereafter as per the aforesaid resolution of the PACS the Rice and Paddy of Bara Rice Mill and fertilizer of Khokhasi PACS were being stored at Udakishunganj godown. Accordingly the

petitioner being the Chairman of the PACS vide letter dated 10.08.2012 informed the District Supply Officer, Madhupara with a copy to the District Agriculture Officer, Madhepura, Assistant District Manager, Bihar State Food Corporation, Madhepura and Assistant Registrar of Co-operative Societies, Udakishunganj, Madhepura regarding the godown of Khokhasi PACS at Udakishunganj and the reason for the same has also been explained therein.

Photo copy of said letter dated 10.08.12 is annexed herewith and marked as Annexure: 4 to this petition.

8. That it is further relevant to state here that the Additional Collector, Disaster Management, Madhepura on the direction of the District Magistrate, Madhepura conducted a surprise inspection of godowns including the Godown at Udakishunganj and rice mill of the Khokhasi PACS on 01.09.2012 and found no irregularity either in storage of rice/paddy or running of Bara Rice Mill of Khokhasi PACS and reported the same to the District Magistrate, Madhepura vide letter dated

03.09.2012. The Additional Collector further directed the PACS to make available 67% of rice from the previously provided Paddy before 15.10.2012.

Photo copy of inspection report dt. 03.09.12 is annexed herewith and marked as Annexure: 5 to this petition.

9. That thereafter on the basis of the letter dated 07.09.2012 of the Block Agriculture Officer, Murliganj addressed to the Officer-in-Charge of Udakishunganj Police Station, the Udakishunganj Police Station Case No.122 of 2012 has been registered for the offences under section 7 of the E.C. Act against the petitioner stating therein that on 05.09.2012 the Sub-Divisional Agriculture Officer, Madhepura and Program Executive Officer, Udakishunganj, Madhepura conducted surprise inspection at the godown at Udakishunganj and seized 710 bags of fertilizer, 1950 bags of Rice, and 1615 bags of Paddy stating that the petitioner can do business only in Khokhasi PACS and the storage outside the limits of PACS shows that the same has been done for the purpose of black marketing.

Photo copy of FIR of Udakishunganj P.S. Case No. 122/12 along with the seizure list is annexed herewith and marked as Annexure: 6 to this petition.

10. That it is submitted that the aforesaid prosecution is only based on the suspicion and there is no any complaint against the petitioner regarding the black marketing nor there is any evidence that any sell/purchase activity was going on at the said place of seizure. The seizure of rice and paddy is otherwise illegal for the reason that only four days prior to the instant inspection, the godown of the PACS was inspected by the Additional Collector, Disaster Management, Madhepura on the direction of the District Magistrate and after inspection no any irregularity was reported by him.

11. That it is submitted that the rice and paddy are free sale commodity in terms of Gazetted notification dated 15.02.2002 published by the order of Ministry of Consumer Affairs, Food and Civil Supply, Government of India i.e., Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement

Restrictions) on specified Foodstuffs Order, 2002. The said notification makes it clear that any license or order would not be required for purchase, storage, sale, transportation, distribution, acquisition, disposal, use or consumption of Rice/Paddy.

Photo copy of Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 is annexed herewith and marked as Annexure: 7 to this petition.

12. That in light of aforesaid notification dated 15.02.2002 the seizure of the food grains could not be said legal rather it is an abuse of power vested in the authority.

13. That so far the Fertilizer is concerned it is submitted that the Khokhasi PACS has been issued License for business of Fertilizer vide Annexure: 1 and pursuant to the initiative of the government and under the support to raise working capital for off-season procurement/storage of

fertilizer by the National Co-operative Development Corporation, the PACS started the purchase and storage of fertilizer in its godown, but finding that the godown of the Khokhasi PACS is not sufficient for storage of huge quantity of fertilizer, the PACS by its resolution dated 02.08.12 decided to arrange an another godown at Udakishunganj since the road to Khokhasi PACS is in very poor condition. Thereafter intimation of the said godown at Udakishunganj has been given to the authorities concerned and the PACS started storing its Rice, Paddy and Fertilizer.

14. That it is relevant to state here that the godown at Udakishunganj was not used as the place of business by the PACS, rather the same is being used as the lifting point for the ready Rice for F.C.I. and storage of Paddy and Fertilizer, due to rainy season and bad condition of road connecting Khokhasi PACS.

15. That so far as the fertilizer is concerned, it is submitted that the Khokhasi PACS has purchased total 66.25 MT i.e. 1325 bags of fertilizer. Out of the said 1325 bags of fertilizer,

only 9 bags have been sold from Khokhasi PACS godown at Ramganj and rest of the bags of fertilizer is still available in the stock of the PACS. The fertilizer was initially stored at Udakishunganj godown and from there it was taken to the godown of PACS at Ramganj. At present 606 bags of fertilizer is still available in the godown of Khokhasi PACS at Ramganj and 710 bags is lying at Udakishunganj godown of PACS.

Photo copy of receipt of purchase of fertilizer and stock register of the Khokhasi PACS are annexed herewith and marked as Annexure: 8 and 8/1, respectively, to this petition.

16. That it is submitted that as per section 44AZ of the Bihar Co-operative Societies (Amendment) Act, 2008, "There shall be no restriction regarding area of operation for the conduct of business by a society under Short Term Co-operative Credit Structure". AS per section 2(4) Short Term Co-operative Credit Structure also

includes Primary Agriculture Credit Society. Hence, the allegation in the FIR that the fertilizer was kept for black marketing is without any basis.

There is nothing on record that any sell and purchase activity is going on at the Udakishunganj Godown nor any iota of evidence, which shows that there is any type of irregularities in stock register of the PACS. It is specifically mentioned in the FIR that during enquiry the local residents have told that the said godown belongs to the petitioner, but there is no any prima facie evidence which suggest that any black marketing of fertilizer was going on at the same place.

17. That further from the perusal of Annexure: 5 it is evident that the storage of rice/paddy was found proper at the Khokhasi PACS and a direction has been given to the Rice Mill to ensure that 67% of Rice out of the provided Paddy be supplied before 15.10.2012 and on the other hand the authorities have seized the Rice and Paddy of the petitioner and if the said Rice and Paddy will not be released immediately, the petitioner will have to suffer irreparable loss and injury for the same and

also the consequence of the non-compliance of the direction of the authorities.

18. That while bringing the present prosecution it is suspected that the seized quantity of Fertilizer was kept for black marketing. It may be stated that the only basis of the suspicion is that the said quantity of food grains were kept outside the limit of PACS. It is relevant to state here that the intimation of the same was also given to the authorities concerned.

It is submitted that this Hon'ble Court has also held that there can be a change in premises of sale depot and godown attached to it and the only requirement is that the licensee firm reports such change to the registering authority.

19. That it is submitted that the petitioner has purchased the alleged quantity of Fertilizer from the IFCOO and the stock of the PACS is intact, out of the 1325 bags purchased by the PACS only 9 bags of Fertilizer was sold from the godown at Ramganj, which is within Khokhasi PACS.

20. That the seizure of Rice, Paddy and Fertilizer made by the authority concerned amounts

to infringement of the legal right of the petitioner as guaranteed under the Constitution of India, which requires interference of this Hon'ble Court, specially for the reason that the prosecution has been launched only on the basis of suspicion of black marketing of Fertilizer but illegally the Rice and Paddy of the PACS have also been seized.

21. That this Hon'ble Court in a similar case bearing CWJC No. 6411 of 2012 vide order dated 09.04.2012 has been pleased to direct the release of Fertilizer.

Photo copy of order dated 09.04.12 passed in CWJC No.6411/12 is annexed herewith and marked as Annexure: 9 to this petition.

22. That after initiation of the criminal prosecution the petitioner had filed anticipatory bail application bearing A.B.P.No.657 of 2012 before the learned court of Sessions Judge, Madhepura and the same is still pending for disposal.

23. That it is further relevant to state here that as per the knowledge of the petitioner,

till the date no any proceeding of confiscation under the Essential Commodities Act has been started.

24. That the petitioner has not filed any writ application like the present one at any earlier occasion before this Hon'ble court for the impugned grievance.

25. That the petitioner has no other alternative and equally efficacious remedy then to move before this Hon'ble Court.

It is, theretore, prayed that your lordships may graciously be pleased to admit this writ application, issue Rule NISI, calling upon the respondents to show cause as to why the reliefs claimed in paragraph no. 1 be not granted and after return of show cause, if any, be pleased to allow this writ petition and release the sized Rice, Paddy and Fertilizer in favour of the petitioner.

AND/OR

Pass such other or orders as your lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of this case.

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Shailesh Kumar Singh, aged about **52** years, son of Late Gauri Shankar Singh, resident of village Khokhasi Bara, Police Station Gwalpara, District Madhepura, do hereby solemnly affirm and declare as follows: -

1. That I am the petitioner in the instant case and as such am well acquainted with the fact and circumstances of this case.
2. That the contents of this application have been read over and explained to me in Hindi, which I fully understood and the same are true to my knowledge and information derived from the records of this case.
3. That the annexure are true/photo copy of their respective originals.

ACKNOWLEDGEMENT
[See Rule 8(3)]

Received from M/s प्रा० क० सा० स० लि०, खोखसी (ग्वालपाड़ा) a complete Memorandum of intimation along with form O, fee of Rs. 1250/- by demand draft bearing number 25 dated 17.12.2009.

2. This acknowledgement shall be deemed to the the letter of authorized entitling to carry on the business as applied for, a period of 3 years from the date of issue of this Memo of acknowledgement unless, suspended or revoked by the competent authority.

पंजीकरण सं०: 201/09.10

Sd/-

Signature of notified authority
District Agriculture Officer,
Madhepura.

31.7.10

DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS

Name of style by which the business is carried on.	Location of sale depot.	Location of Godowns attached to sale depot.	Type of fertilizers	Source of supply
प्रा० क० सा० स० लि०, खोखसी (ग्वालपाड़ा)	खाता 186 खेसरा 1076 उ०-सत्यना० यादव	खाता 186, खेसरा 1076, उ०-सत्यना० यादव	यूरिया एन०पी०के०, डी० x पी०	इफको (16-4-10)
प्र०- अध्यक्ष श्री शैलेश सिंह, पिता - स्व० गौरी शंकर सिंह, ग्राम खोखसी, प्रखंड ग्वालपाड़ा	द०-मो० जयवत्री पू०- सड़क प०-डीठर यादव	द०-मो० जयवत्री पू०- सड़क प०-डीठर यादव		

State:

Seal:

Sd/-

District Agriculture Officer,
Madhepura.

31.7.10

स्वोक्सी प्राथमिक कृषि सार्व समिति लि० (पैक्स)

प्रखण्ड-ग्यालपाडा (मधेपुरा)

पत्रांक ...198./12

दिनांक 02/08/12 को स्वोक्सी प्राथमिक कृषि सार्व समिति लि० के कार्यकारणी की बैठक में लिए गए निर्णय की सच्ची प्रतिलिपि

प्रस्ताव संख्या:- 02 -

कार्यकारणी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पैक्स में आने वाले दोनो रास्ता बरसात के कारण जर्जर हालत के कारण खराब है। ग्यालपाडा से अच्छा रास्ता उदाकियुनगंज का है। वैसे स्वोक्सी पैक्स उदाकियुनगंज अनुमण्डल के अन्तर्गत आता है। इसलिए उदाकियुनगंज में ही एक गोदाम भाड़ा पर ₹ 7000 से 12000 तक में लिया जाये। इसके लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या:- 03

कार्यकारणी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उदाकियुनगंज स्थित गोदाम में ऑफ सीजन में खाद का अनिरीक भण्डारण किया जाएगा। यदि पैक्स स्थित गोदाम छोटा है। पैक्स स्थित गोदाम भरने के खाद खाद का अनिरीक भण्डारण किसानों को सुविधा देकर हुए रवि फसल के लिए किया गया है।

प्रस्ताव संख्या- 04

कार्यकारणी द्वारा निर्णय लिया गया कि बाड़ा राईसमी से स्वोक्सी पैक्स द्वारा तमार C.M.R को उदाकियुनगंज स्थित गोदाम में मात्र उठाऊ पौंदा के लिए किया जाएगा, क्योंकि F.C.I ट्रेक्टर द्वारा भेजा गया C.M.R को लौटा दिया था F.C.I में ट्रक से C.M.R भेजा है। बरसात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि उदाकियुनगंज में से गोदाम लिया जाये।

अभिप्रायण
अध्यक्ष
स्वोक्सी प्राथमिक कृषि सार्व समिति लि०
ग्यालपाडा, मधेपुरा

Annexure: 2

पत्रांक 128/12

दिनांक: 02/08/12

दिनांक 02/08/12 को खोखसी प्राथमिक कृषि साख समिति लि० के कार्यकारणी की बैठक में लिए गए निर्णय की सच्ची प्रतिलिपि

प्रस्ताव संख्या : - 02 -

कार्यकारणी के बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खोखसी पैक्स में आने वाले दोनों रास्ता बरसात के कारण जर्जर हालात के कारण खराब है। ग्वालपाड़ा से अच्छा रास्ता उदाकिसुनगंज का है। वैसे खोखसी पैक्स उदाकिसुनगंज अनुमण्डल के अन्तर्गत आता है। इसलिए उदाकिसुनगंज में ही एक गोदाम माड़ा पर रु 7000 से 12000 तक में लिया जाय। इसके लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या :- 03

कार्यकारणी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उदाकिसुनगंज स्थित गोदाम में ऑफ सीजन में खाद का अतिरिक्त भण्डारण किया जाएगा। चुकि पैक्स स्थित गोदाम छोटा है। पैक्स स्थित गोदाम भरने के बाद खाद का अतिरिक्त भण्डारण किसानों को सुविधा देखते हुए रवि फसल के लिए किया गया है।

प्रस्ताव संख्या - 04

कार्यकारणी द्वारा निर्णय लिया गया कि बाड़ा राईसमील खोखसी पैक्स द्वारा तैयार C.M.R. को उदाकिसुनगंज स्थित गोदाम में मात्र उठाऊ पोइन्ट के लिए किया जाएगा, क्योंकि F.C.I. डेक्टर द्वारा भेजा गया C.M.R. को लौटा दिया था F.C.I. में ट्क से C.M.R. भेजना है। बरसात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि उदाकिसुनगंज में गोदाम लिया जाय।

(18)

खोवसी प्राथमिक कृषि साख समिति लि० (पैकसा)

प्रखण्ड-ग्वालपाड़ा (मधेपुरा)

पत्रांक

दिनांक

प्रस्ताव संख्या :- 05

कार्यकारणी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय गया कि बाडा राईख मील खोवसी पैकसा के लिए प्राप्त धान को बरसात से बचाते हेतु उदात्तियुतगंज स्थित गोदाम में रखने हेतु किया जाएगा

आमि प्रमाणित

42
रामेश्वर कुंवर
अध्यक्ष
खोवसी प्राथमिक कृषि साख समिति लि०
पत्रांक, मधेपुरा

T/c 18

प्रस्ताव संख्या :- 05

कार्यकारणी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय गया कि बाड़ा राईस मील खोखसी पैक्स के लिए प्राप्त धान को बरसात से बचाने हेतु उदाकिभुनगंज स्थित गोदाम में रखने हेतु किया जाएगा।

अभिप्रमाणित

शैलश कु० सिंह

अध्यक्ष

खोखसी प्राथमिक कृषि साख समिति लि०
खालापाड़ा, मधेपुरा

Rs. 100
ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

श्री. सुमर सिंह पंजाब अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का कार्यालय
BEHAV का 201111 27 9 14 6 दि. 2/11/11
लेख नं. 587442

किसानी:- श्रीमति अलता देवी पति श्री-
लक्ष्मेश्वरी पौडार गा.म+पो- उदादिक्खुनगंज, जिला-मधेपुरा
राष्ट्रीयता भारतीय ।

किसानी:- श्री वैदेश कुमार सिंह आ.म. खोखरी प्राथमिक कृषि साख समिति
एवं बाडा राईष मिल मौजा खोखरीशरण, थाना-ग्वालपाडा
जिला मधेपुरा ।

संख्या प्रकार:- किराया नाम दिनांक- 05.08.2012 से लगायत- 05.08.2013
तक के लिए ।

किराया की रकम:- मोबलग 11000 ग्यारह हजार रुपया प्रतिमह
सम्पत्ति:- गोदाम एवं गोदाम की कुल भूमि खंडलूम जिस गोदाम में
मजाजी 17- $\frac{1}{2}$ - डी० भूमि है जिसमें गोदाम बना हुआ
है मौजा दिक्खुनगंज, थाना वो अंचल वो तब रजिस्ट्री
कार्यालय उदादिक्खुनगंज, जिला मधेपुरा जिसका थाना नं०-
192 मोर्कर है ।

शता	खर	रकम	पौडरी
=====	=====	=====	=====
130	890	१० ३१०	३०- कुमुलाल पौडार
		००- 17- $\frac{1}{2}$	५० सड़क
			५०- अजय कुमार गुप्ता वगेरह
			पिता स्व० गिरीश गुप्ता
			५०- नीजी सड़क

Annexure: 3

- लेख्यकारी :- श्रीमति अलता देवी पति श्री --
कमलेश्वरी पौद्धार ग्राम + पो० - उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा
राष्ट्रीयता भारतीय।
- लेख्यधारी :- श्री शैलेश कुमार सिंह अध्यक्ष खोखशी प्राथमिक कृषि साख समिति
लि० एवं बाडा राईष मिल मौजा- खोखशीशरण, थाना --
ग्वालपाड़ा जिला मधेपुरा।
- लेख्य प्रकार :- किराया नाम दिनांक- 05.08.2012 से लगायत- 05.08.2013 तक के
लिए।
- किराया की रकम :- मोबलग 11000 ग्यारह हजार रुपया प्रतिमाह
- सम्पत्ति :- गोदाम एवं गोदाम की कुल भूमि एवं एक रुम जिस गोदाम में
भवाजी 17½ डी० भूमि है जिसमें गोदाम बना हुआ है मौजा
किशुनगंज, थाना दो अंचल वो सब रजिस्ट्री कार्यालय
उदाकिशुनगंज, जिला मधेपुरा जिसका थाना नं०- 192 मोकरर है।

<u>खाता</u>	<u>खेसरा</u>	<u>रकवा ए०डी०</u>	<u>चौहदी</u>
450	890	00-17½	उ०- कुशुमलाल पौद्धार द०- सड़क पू०- अजय कुमार गुप्ता वगैरह पिता स्व० गिरीश गुप्ता प०- नीजी सड़क

कलन 17-¹----- साठे सतरह डीसमल भूमि में बने एक गोदाम तथा एक रम
2

रम एवं एक चापाकल है जो भूमि घटार दिवारी से धिरा है ।
यह कि, मैं अपने स्वस्थपित से इकरार करती हूँ कि मैंने खोखसी प्राथमिकी
कृषि साख समिति लि० एवं बाडा राईसा मील किराया पर दिया ।

से सम्बन्धित अनाज एवं खदक एवं अन्य समान भण्डारणा हेतु उक्त गोदाम
किराया पर दिया हूँ।

यह कि, खोखसी के सड़क की जर जर स्थिति को देखते हुए उक्त गोदाम
उदाकिष्मगंज का लेखधारी ने किराया पर लिया है ।

यह कि, उक्त किराया की अवधि ग्यारह माह निर्धारित किया गया है ।

यह कि, किराया की अवधि समाप्त होते ही गोदाम को लेखधारी खोखसी
देगा ।

यह कि, दोनों पक्षों के सहमति से किराया की अवधि बढ़ाई जा सकती है ।

यह कि, उक्त किराया नामा दस्तावेज में लिखी गई हर बात मेरे नीजी
जानकारी में तही है जिसे मैंने पढ वो पढवाकर तथा सही पाकर अपना
हस्ताक्षर एवं निहान बना दिया तथा मैं नॉटरी उदाकिष्मगंज के समक्ष स्वीह
उपस्थित होकर यह किरायानामा बना दिया जो वक्त जरूरी पर काम
आवे ।

लेखधारी का हस्ताक्षर

=====

अ. न. 11/2/41

लेखधारी का हस्ताक्षर

=====

अध्यक्ष

खोखसी प्राथमिक कृषि साख समिति लि०
ग्वालपाड़ा, मधेपुरा

अभि
=====

नॉटरी

सज्जन कुमर
सहायक नॉटरी
गुरा, सिद्धपुर

12

T/C 20

किशन 17½ साढ़े सतरह डीसमल भुमि में बने एक गोदाम तथा एक रूम एवं एक चापाकल है जो भुमि चहार दिवारी से घिरा है।

यह कि, मैं अपने स्वस्थपित से ईकरार करती हूँ कि मैंने खोखसी प्राथमिकी कृषि शाख समिति लि० एवं बाड़ा राईश मील।

से सम्बन्धित अनाज एवं खाद एवं अन्य समान भण्डारण हेतु उक्त गोदाम किराया पर दिया हूँ।

यह कि, खोखसी के सड़क की जर जर स्थिति को देखते हुए उक्त गोदाम उदाकिशुनगंज का लेख्यधारी ने किराया पर लिया है।

यह कि, उक्त किराया की अवधि ग्यारह माह निर्धारित किया गया है।

यह कि, किराया की अवधि समाप्त होते ही गोदाम को लेख्यधारी खाली कर देंगे।

यह कि, दोनों पक्षों के सहमति से किराया की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

यह कि, उक्त किराया नामा दस्तावेज में लिखी गई हर बाते मेरे नीजी जानकारी में सही है जिसे मैंने पढ़ वो पढ़वाकर तथा सही पाकर अपना हस्ताक्षर एवं निसान बना दिया तथा मैं नॉटरी उदाकिशुनगंज के समक्ष संदेह उपस्थित होकर यह किरायानामा बना दिया जो वक्त जरूरी पर काम आवें।

लेख्यकारी का हस्ताक्षर

अलता देवी

लेख्यधारी का हस्ताक्षर

शैलेश क० सिंह

अध्यक्ष

खोखसी प्राथमिक कृषि शाख समिति लि०

वालपाड़ा, मधेपुरा

गवाह

कमलेश्वरी पौद्धार

पिता स्व० नरसिंह पौद्धार

ग्रा०+पो० उदाकिशुनगंज

(मधेपुरा)

नोटरी

उदाकिशुनगंज

मधेपुरा, बिहार

Annexure: 4

खोखरी प्राथमिक कृषि साख समिति लि० (पैक्स) 21

प्रखण्ड-ग्वालपाड़ा (मधेपुरा)

पत्रांक 10.8/12

दिनांक 10/08/12

सेवा में
जिल्हा आश्रुति पदाधिकारी
मधेपुरा

विषय: - उदाकिसुतगंज अनुमण्डल में खोखरी पैक्स द्वारा लिए गए जोड़ाम सम्बन्धी सूचना के सम्बन्ध में।


महोदय, निवेदन पूर्वक कहना है कि खोखरी पैक्स के कार्यकारणी द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में दिनांक 05/08/2012 से लगातार 05/08/2013 तक के लिए गौ० रु 11000=00 ज्यारह हजार रुपया प्रतिमाह के दर से करसान में खोखरी पैक्स जाने का बाला जर्जर स्थिति को देखते हुए लिया गया है। जोड़ाम में पैक्स का ऑफिस सौजन में अतिरिक्त खाद भंडारण एवं बाड़ा शक्य मीन खोखरी पैक्स का मील द्वारा तैयार C.M.R जो F.C.I को ट्रक द्वारा भेजा जाएगा का उसका पौवत एवधान का माडास्य हेतु लिया गया है। इसकी सूचना सम्बन्धित पदाधिकारी को दी जा रही है।

अतः निवेदन पूर्वक आग्रह है कि कराना चीनी मील उदाकिसुतगंज के पास खोखरी पैक्स द्वारा लिए गए जोड़ाम का सूचना दी जा रही है। क्योंकि उदाकिसुतगंज अनुमण्डल के अन्तगत खोखरी पैक्स आता है।

प्रतिलिपि

विश्वासभाजन

1. जिल्हा कृषि पदाधिकारी मधेपुरा
2. जिल्हा सहायक प्रबंधक विहार शान्ति खाद्य निगम मधेपुरा
3. सहायक निबंधक, सहयोग समितियों उदाकिसुतगंज मधेपुरा



अध्यक्ष

खोखरी प्राथमिक कृषि साख समिति लि०
ग्वालपाड़ा, मधेपुरा

पत्रांक 102/12

दिनांक: 10/08/12

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
मधेपुरा

विषय :- उदाकिसुनगंज अनुमण्डल में खोखसी पैक्स द्वारा लिए गए गोदाम सम्बन्धी सूचना के सम्बन्ध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि खोखसी पैक्स के कार्यकारणी द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में दिनांक 05/08/2012 से लगातार 05/08/2013 तक के लिए गो० रू०:11000=00 ग्यारह हजार रूपया प्रतिमाह के दर से बरसात में खोखसी पैक्स जाने का रास्ता जर्जर स्थिति को देखते हुए लिया गया है। गोदाम में पैक्स को ऑफ सीजन में आंतरिक खाद भंडारण एवं बाड़ा राईस मील खोखसी पैक्स का मील द्वारा तैयार C.M.R. जो F.C.I. को ट्रक द्वारा भेजा जाएगा का उठाऊ पोइन्ट एवं धान का भण्डारण हेतु लिया गया है। इसकी सूचना सम्बन्धित पदाधिकारी को दी जा रही है।

अतः निवेदन पूर्वक आग्रह है कि पुराना चीनी मील उदाकिसुनगंज के पास खोखसी पैक्स द्वारा लिए गए गोदाम का सूचना दी जा रही है। क्योंकि उदाकिसुनगंज अनुमण्डल के अर्न्तगत खोखसी पैक्स आता है।

प्रतिलिपि

विश्वासभाजन

1. जिला कृषि पदाधिकारी मधेपुरा

शैलेश कु० सिंह

2. जिला सहायक प्रबंधक

अध्यक्ष

बिहार राज्य खाद्य निगम मधेपुरा

खोखसी प्राथमिक कृषि साख समिति लि०

3. सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ

बालापाड़ा, मधेपुरा

उदाकिसुन गंज मधेपुरा

~~Annexure-4~~
Annexure-5

समवेत मंत्रालय
[आपदा प्रबंधन विभाग]

क्रमांक: - 276-2

उपरोक्त
श्रीमान कुमार
उप (सहायक) आपदा प्रबंधन,
समवेत।

देखा में
जिला पदाधिकारी,
समवेत।

- मसौदा दिनांक - 3/09/2012

विषय: - अधिनियम वर्ष 2011-12 में शर्ष मिल-को भेजे गये
मिडिंग हेतु धान के खर्च में जौन में मोटिक
विधि हेतु।

सहायक,
उपरोक्त मिडिंग के खर्च में V.C में दिये गये विवेक
के आलोक में वर्ष 2011-12 [विपणन धान अधिनियम] शर्ष मिल
को मिडिंग हेतु की गई थी। उक्त क्रियेक्षण में दिनांक 01.9.12
को मिला सहायक सचिव, राज्य खाद्य निगम समवेत तथा सहायक
जिला आर्जीत पदाधिकारी के साथ औपक जौन एवं मिडिंग
विधि को निम्न प्रकार है। -

A) खोखली पैम्ब वर शर्ष मिल, गजालपाटा -

(i) मिल को धान उपलब्ध में पाया। अधिनियम धान को मिडिंग
विधि जा रहा था। मिल को मोटिक हेतु। मिल पर लगे हेतु केनेट
को धान की धारा से परामा जाता है का प्लांट बैठाया गया
है। उक्त प्लांट से मिल चलाया जाता है।

(ii) पैम्ब को दिये गये धान की कुल मात्रा - खोखली पैम्ब को
कुल धान - 36,332 किंवटल दिया गया है। 6% के दर पर
पैम्ब के मिल डार 24,342 किंवटल C.M.R. दिया जाता है।
जौन के लिए जो मिल डार 3810 [तीन हजार आठ सौ दस]
किंवटल C.M.R. तैयार किया गया है। जिसके किंवट 270
किंवटल C.M.R भारतीय खाद्य निगम को दिया गया है। शेष
3540 किंवटल C.M.R को F.C.I. को देने हेतु तैयार
रखा है। शेष C.M.R निवेशित F.C.I. के बैठाए गए के धान
मुडित एवं मिडिंग किया जाये जिसे बाकि F.C.I. को भेजने का
निर्देश मिल को दिया गया है। उक्त धान में राज्य खाद्य
निगम के सहायक सचिव को (नोटिफिकेशन) से शेष का निर्देश
की गई थी।

धान की साथ मिडिंग विधि जा रहे C.M.R को धान में
भरने का भी निर्देश दिया गया।

(iii) धान भंडारण की विधि - शेष धान जोकि मिडिंग किया जाना
है उसे भंडारण धनुषित दग से उदाकिमुगुंग गोदाम में 1000
किंवटल, खोखली पैम्ब गोदाम पर लगभग 800 किंवटल तथा
राजगुंग खोखली के भंडारण में 700 किंवटल तथा मिल
रक्षण के भंडारण पर लगभग 24000 किंवटल धान को रखा

(Handwritten signature)

(iv) मिठ को सिदेश - बॉम्बे के समस्त रॉड्स मिठ पर सिदेश किया जा रहा था। उन्हें सिदेशित किया गया है कि 15.10.12 के पूर्व आठ दिनों में धान का 67% आवक देना सुनिश्चित करें।
 - एसीएम संख्या को भी सिदेश दिया गया कि मिठ की सिदेशित निरीक्षण करें तथा निर्धारित तिथि के पूर्व C.M.R मिठ से आठ कराया इसकी जवाब देनी होगी।

(v) मिठ की ओर से सिकावत - C.M.R जब F.C.I के गोदाम पर भेजा जाता है तो 40-45% रुपये प्रति क्विंटल की मांग की जाती है। नही देने पर किसी कारण बगल पावक को असीमित करने की कोशिश की जाती है। इसकी निमित्त सिकावत मिठ अधिको डार दी गई है। एसेम्बर-1 एवं 11 देखें।

(vi) अ.जी ओ डार - समस्त बॉम्बे की 100 आफी कराई गई है C.O समस्त है।

B नौ काली रॉड्स मिठ, रेसना उपखण्ड - बॉम्बे के समस्त

(i) मिठ आठ सिकावत में पाया। सिदेशित कार्य जारी था। इस मिठ को कुल 15,351 क्विंटल धान दिया गया जिसके विरुद्ध 10 लॉट C.M.R नैमार पूर्व में मा. मि. के विरुद्ध 2430 क्विंटल C.M.R एक ही आर्ड को दिया गया है।
 15,351 क्विंटल धान के विरुद्ध 67% के दर पर कुल C.M.R मिठ डार 10,285.17 क्विंटल दिया जाना है। उस परिवेष्ट के विरुद्ध नौ काली रॉड्स मिठ डार कुल तक 5130 क्विंटल C.M.R [2430 क्विंटल जमा सीट] नैमार दिया गया है। सभी C.M.R विनिवत वंग में है। छद्रित तथा सिदेशित किया हुआ पाया गया।

(ii) धान की सिफरी - मिठ के प्राणण तथा गोदाम को मिठ के कुल ही डार पर है लगभग 7600 क्विंटल के धान पर सिदेशित दे एक उभा रहा पाया गया।

(iii) इस मिठ डार लगभग 50% धान के विरुद्ध C.M.R नैमार दिया गया है। इसके डार आइवर किया गया है कि दिनांक 15/10/12 के पूर्व अवशेष 50% C.M.R सजा करेंगे।

(iv) मिठ की ओर से सिकावत - इस मिठ अधिक डार भी C.M.R F.C.I को जमा करने के धन F.C.I डार 40-45% प्रति क्विंटल सुधेन शशि की मांग की बात कहे को एक सम्भार बात है।

(v) समस्त बॉम्बे की 100 आफी कराई गई।

C) आदिप शज रॉड्स मिठ, जोलपुर निप्प, मिथरी गंज -

बॉम्बे के समस्त मिथली के अधास में मिठ बंद था। परन्तु अधिको की ओर मिठ पर पावक बनाने की

Handwritten signature or mark

समाहरणालय मधेपुरा
(आपदा) प्रबंधन शाखा

पत्रांक :- 276-2

प्रेषक,

अजय कुमार,
अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन,
मधेपुरा।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा,

मधेपुरा, दिनांक - 3/09/2012

विषय:- अधिप्राप्ति वर्ष 2011-12 में राईस मिल को भेजे गये मिलिंग हेतु धान के सन्दर्भ में जॉच में मौलिक स्थिति हेतु।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में v.c. में दिये गये निदेश के आलोक में वर्ष 2011-12 (विपन्न धान अभिप्राप्ति) राईस मिल को मिलिंग हेतु दी गई थी। इस परिपेक्ष्य में दिनांक 01.09.2012 को जिला सहायक प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम मधेपुरा तथा सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ औचक जॉच एवं निरीक्षण किया जो निम्न प्रकार है -

A) खोखसी पैक्स बारा राईस मिल, ग्वालपाड़ा-

- (i) मिल को चालू अवस्था में पाया। अभिप्राप्ति धान को मिलिंग किया जा रहा था। मिल ऑटोमेटिक है। मिल चलाने हेतु जेनरेटर जो धान की मूसा से चलाया जाता है का प्लांट बैठाया गया है। इस प्लांट से मिल चलाया जाता है।
- (ii) पैक्स को दिये गये धान की कुल मात्रा - खोखसी पैक्स को कुला धान - 36,332 क्विंटल दिया गया है। 67% के दर पर पैक्स के मिल द्वारा 24,342 क्विंटल C.M.R. दिया जाना है। जॉच के तिथि को मिल द्वारा 3810 (तीन हजार आठ सौ दस) क्विंटल C.M.R. तैयार किया गया है। जिसके विरुद्ध 270 क्विंटल C.M.R. भारतीय खाद्य निगम को दिया गया है। शेष 3540 क्विंटल C.M.R. को F.C.I. को देने हेतु तैयार रखा है। शेष C.M.R. विधिवत F.C.I. के बैग + टैग के साथ मुडित एवं मिलिंग किया गया जिसे शीघ्र F.C.I. को भेजने का निदेश मिल को दिया गया है। इस संबंध में राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधक को खखियाति से कपि का निदेश भी दी गई।

साथ ही साथ मिलिंग किये जा रहे C.M.R. का बैग में भरवाने का भी निदेश दिया गया।

- (iii) धान भंडारण की स्थिति- शेष धान जिसका मिलिक किया जाना है कि भंडारण समुचित ढंग से उदाकिसुनगंज गोदाम में लगभग 1000 क्विंटल, सरौनी पैक्स गोदाम पर लगभग 800 क्विंटल तथा रामगंज खोखसी के भंडारण में 700 क्विंटल तथा मिल स्थल के भंडारण पर लगभग 24000 क्विंटल धान को रखा।

- (iv) मिल को निदेश - जॉच के समय राईस मिल पर मिलिंग किया जा रहा था। इन्हें निदेशित किया गया है कि 15.10.12 के पूर्व प्राप्त किये गये धान का 67% चावल देना सुनिश्चित करें।

सहायक प्रबंधक को भी निवेश किया गया कि मिल की नियमित निरीक्षण करे तथा निर्धारित तिथि के पूर्व C.M.R. मिल से प्राप्त कराना इनकी जवाब देही होगी।

- (v) मिल की ओर से शिकायत - C.M.R. जब F.C.I. के गोदाम पर भेजा जाता है तो 40-45/- रुपये प्रति क्विंटल की मांग की जाती है। सही देने पर किसी कारण बताकर चावल को अस्वीकृत करने की कोशिश की जाती है। इसकी लिखित शिकायत मिल मालिकों द्वारा दी गई है। एनेक्सर - 2 एवं 11 संलग्न है।

- (vi) वीडीयो ग्राफी- सम्पूर्ण जॉच की V.D.O. ग्राफी करायी गई है C.D. संलग्न है।

B) मॉ काली राईस मिल, रेशना ग्वालपाड़ा -

- (i) मिल चालू अवस्था में पाया। मिलिंग फार्म जारी था। इस मिल को कुल 15,351 क्विंटल धान दिया गया जिसके विरुद्ध 10 लॉट C.M.R. तैयार पूर्व में था जिसके विरुद्ध 2430 क्विंटल C.M.R. एफ.सी.आई को दिया गया है।

15,351 क्विंटल धान के विरुद्ध 67% के दर पर कुल C.M.R. मिल द्वारा 10,285.17 क्विंटल दिया जाना है। इस परिपेक्ष्य के विरुद्ध मॉ काली राईस मिल द्वारा अब तक 5130 क्विंटल C.M.R. (2430 क्विंटल जया सहित) तैयार किया गया है। सभी C.M.R. विभिन्न बैग में टैग, मुड़ित तथा सिलिंग किया हुआ पाया गया।

- (ii) धान की स्थिति - मिल के प्रांगण तथा गोदाम जो मिल से कुछ ही दूरी पर है लगभग 7600 क्विंटल के आस-पास तिरपाल से ढका हुआ रखा पाया गया।
- (iii) इस मिल द्वारा लगभग 50% धान के विरुद्ध C.M.R. तैयार किया गया है। इनके द्वारा आश्वत किया गया है कि दिनांक 15/10/ के पूर्व अवशेष 50% C.M.R. जमा करेंगे।
- (iv) मिल की ओर से शिकायत- इस मिल मालिक द्वारा भी C.M.R. F.C.I. को जमा करने के समय F.C.I. द्वारा 40-45/- प्रति क्विंटल अवैध राशि की मांग की बात कहे जो एक गम्भीर बात है।
- (v) सम्पूर्ण जॉच की V.D.O. ग्राफी करायी गई।

C) आदित्य राज राईस मिल मोहनपुर निप्स, बिहारी गंज-

जॉच के समय बिजली के अभाव में मिल बंद था। परन्तु ग्रामिणों की ओर मिल पर चावल बनाने की

की बात कही गई। इस लिए को कुल धान 15677
किबंटल धान निष्का गमा। 671 के दर पर 10,503
किबंटल CMR निष्का जाता है। मिल द्वारा जमतक कुल-
4590 किबंटल CMR तैयार किया गया है। इसके सिद्ध
1890 किबंटल CMR भारतीय रक्षा निगम को जमा कर
दिखा गया है।

- (i) धान की भौतिक स्थिति - बॉल के इस में लगभग 6000 किबंटल धान को सुरक्षित रखा गया है।
- (ii) मिल को मिलेला - 15.10.12 तक शेष CMR जमा करने का निर्देश दिया गया है।
- (iv) मिल की रिपोर्ट - FCI को CMR जमा करते समय FCI द्वारा जमा धान 40-45/- भांजा की बात कही है। यह भी एक गंभीर बात है।
- (v) सम्पूर्ण कार्य की V.O.D जारी करनी गई। (C.D) अक्टूबर से स्वतः स्पष्ट है।

अनुष्ठा- (i) सीडी एवं
(ii) मिल कर्मियों का
विशेष ज्ञान - 24/11/12

सहायक निदेशक निजग प्रबंधक,
नथेठरा। रक्षा रक्षा निगम
नथेठरा।

विभागाध्यक्ष
[जगत कुमार]
अपर सहायक निदेशक
नथेठरा।

Page 24

की बात कही गई। इस मिल को कुल धान 15677 क्विंटल धान दिया गया। 67% के दर पर 10,503 क्विंटल C.M.R. दिया जाना है। मिल द्वारा अब तक कुल 4590 क्विंटल C.M.R. तैयार किया गया है जिसके विरुद्ध 1890 क्विंटल C.M.R. भारतीय खाद्य निगम को जमा कर दिया गया है।

- (ii) धान की भौतिक स्थिति - जॉच के कम में स्थल पर लगभग 6000 क्विंटल धान को सुरक्षित रखा गया है।
- (iii) मिलर को निदेश- 15.10.12 तक शेष C.M.R. जमा करने का निदेश दिया गया है।
- (iv) मिलर की शिकायत- F.C.I. को C.M.R. जमा करते समय F.C.I. द्वारा अवैध राशि 40-45/- मांग की बात कहा है। यह भी एक गम्भीर बात है।
- (v) सम्पूर्ण कार्य की V.D.O. ग्राफी करायी गई। C.D. अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है।

सदर सूचनार्थ।

अनुलग्नक - (1) सीडी एक

(2) मिल मालिक का

लिखित ब्यान - 2

विश्राम भाजन

सहा जिला आपूर्ति पदा० जिला प्रबंधक,

(अजय कुमार)

मधेपुरा।

राज्य खाद्य निगम

अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन

मधेपुरा।

मधेपुरा।

9125
12.09.12

Annexure - 6
13.09.12

13.09.12

उदासपुर थाना-122/12

CA 9125

25

पत्र सं-118

सं-26 (नियम-143)

नाम व नाम शैली सिंह संख्या..B
प्राथमिकी (F. I. R.)

(दं प्र सं की धारा 154 के अधीन)

16983

1. उदासपुर * अनुमंडल उदासपुर * थाना उदासपुर वर्ष 2012 * प्राथमिकी सं. 122 * तिथि 07.09.12

L) (S. Div.) (P.S.) (Yr.) (F.I.R. No.) (Date)

* अधिनियम (Act) 7 E.C. Act * धाराएं (Sections) 7 E.C. Act

* अधिनियम (Act) * धाराएं (Sections)

* अधिनियम (Act) 09.12 * धाराएं (Sections)

* अन्य अधिनियम एवं धाराएं (Other Acts and Sections)

* अपराध की घटना काला गाररी * दिन * तिथि से 5.9.12 * तिथि तक

वर्ष (Year) 2012 * वजे से 6.09.12 * वजे तक

थाना में प्राप्त सूचना तिथि 7.9.12 समय 20.00

गोपनीयता दर्ज करने की तिथि 7.9.12 समय 20.00

थाना दैनिकी संख्या-पत्रिका सं. संख्या

का प्रकार (Type of Information) * लिखित/माखिक (Written/Oral)

स्थल-(क) थाना में दिशा एवं दूरी लक्ष्मणपुरा 1/2 मील पूर्व पश्चिम दिशा सं. I

पता (Address) उदासपुर थाना पुराना सिटी बिल्डिंग के पास

थाना- उदासपुर, जिला- सुपौल

थाना की सीमा से बाहर होने की दशा में थाना का नाम जिला

सूचना दाता :

1) नाम सुश्री सुभाष चंद्र

2) पिता/पति का नाम श्री अश्वमेध प्रसाद चंद्र

3) जन्म-तिथि (ब) गृहीयता सही

4) प्राप्त सं. विवेक तिथि निर्दिष्ट स्थान

5) पंजा

6) पता सुपौल कृषि पश्चिम दिशा मुरलीधर

स्वामीपति - श्री- निमाचंद्र देव, थाना- उदासपुर, जिला- सुपौल

GOVT OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & REGISTRATION DEPT.
MADHUPUR SCORE MADHUPUR
COURT FEE
Authorization No. 2937

BIHAR JUDICIAL
STAMP DUTY
000000
374758
13.9.2012
INDIA

20

(2)

अनुसूची 47, प्रपत्र य० - 118

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगाएं)

① श्री श्री लक्ष्मी सिंह मिश्रा - ए० जी० श्री बंकर सिंह, पत्नी अम्बिका
पत्नी - रघुवती (उपालयादा)।

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विरूपता तथा अन्य विवरण :-

*लिंग (Sex)	*जन्मतिथि (तिथि/मास/वर्ष) Date of Birth (Date/Month/Year)	*शारीरिक गठन (Build)	*ऊँचाई सं० मी० में (Height) (in Cms)	*वर्ण (Complexion)	*पहचान चिह्न (Identification mark)
1	2	3	4	5	6

*विरूपता / विलक्षणता (Deformities/ peculiarities)	*दांत (Teeth)	*बाल (Hair)	*आँख (Eye)	*आदतें (Habits)	*पहनावा (Dress Habit)
7	8	9	10	11	12

*भाषा/बोली (Language/ Dialect)	*जले का निशान (Burn Mark)	*श्वेत क्लष्ठ (Leucoderma)	स्थान		*गोदना (Tattoo)
			*तिल (Mole)	*जख्म चिह्न (Scar)	
13	14	15	16	17	18

यदि परिवारी/इत्तिला देने वाले/पीड़ित व्यक्ति द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विशिष्टताएँ दी जाएँ तभी स्तरों में प्रविष्टियाँ की जाएंगी। इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायतार्थ केवल प्रारंभिक सुधार के प्रयोजन से ही किया जाएगा।

इस प्रकार बनाए गए आंकड़े बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति को विभिन्न मामलों, यदि कोई हो, से जोड़ेगा।

जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए तब पूर्व-संदेह पर विचार के किए बिना सभी बातों से संबंधित व्यापक और पूर्ण उपाय तैयार किए जाएंगे।

Annexure: 6

अनुसूची 47, प्रपत्र सं० 118

प्रपत्र सं०- 26 (नियम-143)

प्राथमिकी (F. I. R.)

संख्या- B

(दंड प्र० सं० की धारा 154 के अधिन)

1. जिला मधेपुरा, अनुमंडल उदाकिसुनगंज, थाना उदाकिसुनगंज, वर्ष 2012, प्राथमिकी सं० 122, तिथि 07.09.2012

2- (i) अधिनियम 7 E.C. Act धाराएँ 7 E.C. Act

(ii) अधिनियम -- धाराएँ --

(iii) अधिनियम -- धाराएँ --

(iv) अन्य अधिनियम एवं धाराएँ :

3 (क) अपराध की घटना काला बाजारी, दिन _____ तिथि से 06.09.2012 तिथि तक _____

समयावधि (पहर) छह बजे से 6 बजे शाम बजे तक

(ख) थाना मे प्राप्त सूचना तिथि 07.09.2012 समय 20:00 बजे

(ग) प्राथमिकि दर्ज करने की तिथि 07.09.2012 समय 20:00 बजे

(घ) थाना दैनिकी संदर्भ-प्रविष्टि सं० समय 10:30 बजे

4. सूचना का प्रकार लिखित/मौखिक टंकित आवेदन टंकित

5. घटना स्थल- (क) लगभग 1/2 कि०मी० पश्चिम गश्त सं० I

(ख) पता- उदाकिसुनगंज स्थित पुराना चिनी मिल के बगल में, थाना- उदाकिसुनगंज, जिला- मधेपुरा

(ग) थाना की सीमा से बाहर होने की दशा में थाना का नाम जिला

6 परिवारी/सूचना दाता :

(क) नाम- धर्मेन्द्र कुमार चौधरी

(ख) पिता/पति का नाम- श्री अखिलेश्वर प्रसाद चौधरी

(ग) जन्म-तिथि (घ) राष्ट्रीयता भारतीय

(ड.) पत्र सं० निर्गम तिथि निर्गम स्थान

(च) पेशा-

(छ) पता- प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी मुरलीगंज स्थाई पता - ग्राम - निमाचकहदेर, थाना - कल्याणपुर, जिला - समस्तीपुर ।

अनुसूची 47, प्रपत्र सं0.118

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो पन्ना लगाएं)

(1) श्री शैलेश सिंह, पिता - स्व0 गौरी शंकर सिंह, पैम्स अध्यक्ष पंचायत राखारी (ग्वालपाड़ा)।

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं, विरूपता तथा अन्य विवरण -

लिंग (sex)	जन्म की तारिक/वर्ष Date/Year of Birth	शारीरिक गठन (Built)	उचाई से. मी. मे (Height in Cms.)	वर्ण (complexion)	पहचान चिन्ह (identification Mark/s)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

विरूपता/विलक्षणता (Deformities/ peculiarities)	दांत (Teeth)	बाल (Hair)	आँख (Eyes)	आदतें (Habits)	पहनावा (Dress (Habit/s)
7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X

भाषा/बोली (LANGUAGE / DIALECT)	स्थान/Place of				
	जले का निशान (Burn Mark)	श्वेत कुष्ठ (Leucoderma)	तिल (Mole)	जखम चिन्ह (Scar)	गोदना (Tattoo)
13	14	15	16	17	18
X	X	X	X	X	X

यदि परियादी/इतला देने वाले/पीड़ित व्यक्ति द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विशिष्टतायें दी जाएं तभी स्तंभों में प्रविष्टियों की जाएगी। इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायतार्थ केवल प्रारंभिक सुधार के प्रयोजन से ही किया जाएगा।

इस प्रकार बनाए गए आंकड़े बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति को विभिन्न मामलों, यदि कोई हो, से जोड़ेगा।

जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए तब पूर्व-संदेह पर विचार के बिना सभी बातों से संबंधित व्यापक और पूर्ण आंकड़े पुनः तैयार किए जाएंगे।

पत्रांक... 01 54 दिनांक... 07/09/2012

27

प्रेषक,

प्रखंड कृषि पदाधिकारी,
मुरलीगंज।

सेवा में,

थानाध्यक्ष,
उदाकिशुनगंज(मधेपुरा)

विषय:-

श्री शैलेश सिंह, पिता-स्व० गौरी शंकर सिंह, पैक्स अध्यक्ष,
पंचायत-खोखसी(गवालपाड़ा) के विरुद्ध उर्वरक कालाबाजारी के आरोप
प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

प्रसंग:-

जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा का पत्रांक 987 दिनांक 05.09.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के आलोक में सूचित करना है कि दिनांक
05.09.2012 को अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा, परियोजना कार्यपालक
पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, एवं थाना के पदाधिकारी के द्वारा उदाकिशुनगंज स्थित
पुराना चीनी मिल के बगल में अवस्थित गोदाम का जांच गुप्त सूचना के आधा
पर किया गया। जांच के क्रम में गोदाम में निम्नांकित सामग्री पाया गया। जे
निम्न प्रकार है:-जिसको जब्त करते हुए गोदाम को 06:00 बजे अपराहन में सील
किया गया है।

क्र०	सामग्री का विवरण	बोरा में
1	IFFCO NPK 20:20:0:13	710 बोरा (50 कि०ग्रा/बोरा)
2	चावल (50X1950)	1950 बोरा
3	धान	1615 बोरा

इस प्रकार जांच के क्रम में स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि यह
गोदाम शैलेश सिंह पैक्स अध्यक्ष, खोखसी(गवालपाड़ा) का है। श्री सिंह को उर्वरक
अनुज्ञापित सं० 201/09-10 केवल खोखसी पंचायत में उर्वरक व्यवसाय हेतु निर्गत
किया गया है। अनुज्ञापित में इनका गोदाम खोखसी पंचायत में अवस्थित है
जिसका चौहद्दी निम्नप्रकार है:-आतान० 186, खेसरा-1078, पूरब-सड़क,
पश्चिम-टीटर यादव, उत्तर-सत्यनारायण यादव, दक्षिण-मो० जियावती है।

अनुज्ञापित में निहित शर्तों के अनुसार केवल अपने पंचायत अन्तर्गत ही
खाद का व्यवसाय कर सकते हैं। इस प्रकार अपने क्षेत्राधिकार से बाहर उर्वरक का
भंडारण करना कालाबाजारी को प्रमाणित करता है। जांच के क्रम में पैक्स अध्यक्ष की
खोज की गई लेकिन अनुपस्थित पाये गये।

अतः अनुरोध है कि श्री शैलेश कुमार सिंह, पिता-स्व० गौरी शंकर सिंह,
पैक्स अध्यक्ष, खोखसी(गवालपाड़ा) द्वारा अवैध रूप से अपने कार्य क्षेत्र खोखसी
पंचायत(गवालपाड़ा) से दूसरे प्रखंड में उर्वरक भंडारण कर कालाबाजारी करने के
आरोप में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा
की जाय।

अनुलग्नक:- 1 जब्ती सूची की छाया प्रति:-।

Registered UdaKishungang P.S. Case No.
122/12 date 07/09/12 U/S 7 E.C Act. 57.
Nitish Kumar will investigate
this case.

07/09/12
S.H.O
U.K. Goud

विश्वसिभाजन

प्रखंड कृषि पदाधिकारी
मुरलीगंज

श्री शैलेश कुमार सिंह
श्री श्री बाबूजी
श्री श्री बाबूजी
श्री श्री बाबूजी
श्री श्री बाबूजी

प्रेषक,

प्रखंड कृषि पदाधिकारी,
मुरलीगंज।

सेवा मे

थानाध्यक्ष,
उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

विषय:-

श्री शैलेश सिंह, पिता--स्व० गौरी शंकर सिंह, पैक्स अध्यक्ष पंचायत-खोखसी (ग्वालपाड़ा) के विरुद्ध उर्वरक कालाबाजारी के आरोप प्राथमिकी दर्ज करने के सबंध में।

प्रसंग:-

जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा का पत्रांक 987 दिनांक 05.09.2012

महाशय

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के आलोक में सूचित करना है कि दिनांक 05.09.2012 को अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा, परीोजना कार्यपाल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, एवं थाना के पदाधिकारी के द्वारा उदाकिशुनगंज स्थित पुराना चीनी मिल के बगल में अवस्थित गोदाम का जूच गुप्त सूचना के आधार पर किया गया। जांच के क्रम में गोदाम में निम्नांकित सामग्री पाया गया। यह निम्न प्रकार है:- जिसको जब्त करते हुए गोदाम को 06:00 बजे अपराहन में सीज किया गया है।

क्र०	समग्री का विवरण	बोरा
1	IFFCO NPK 20:20:0:13	710 बोरा (50 कि०ग्रा०/बोरा)
2	चावल (50X1950)	1950 बोरा
3	धान	1615 बोरा

इस प्रकार जांच के क्रम में स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि यह गोदाम शैलेश सिंह पैक्स अध्यक्ष, खोखसी (ग्वालपाड़ा) का है। श्री सिंह को उर्वरक अनुज्ञापति सं० 201/09-10 केवल खोखसी पंचायत में उर्वरक व्यवसाय हेतु निर्गत किया गया है। अनुज्ञापति में इनका गोदाम खोखसी पंचायत में अवस्थित है जिसका चौहददी निम्नप्रकार है:- खातान० 186, खेसरा - 1078, पूरब-सड़क पश्चिम- टीठर यादव, उत्तर- सत्यनारायण यादव, दक्षिण- मो० जियावती है।

अनुज्ञापति में निहित शर्तों के अनुसार केवल अपने पंचायत अन्तर्गत है खाद का व्यवसाय कर सकते हैं। इस प्रकार अपने क्षेत्राधिकार से बाहर उर्वरक का भंडारण करना कालाबाजारी को प्रमाणित करता है। जांच के क्रम में पैक्स अध्यक्ष की खोज की गई लेकिन अनुपस्थित पाये गये।

अतः अनुरोध है कि श्री शैलेश कुमार सिंह, पिता - स्व० गौरी शंकर सिंह पैक्स अध्यक्ष, खोखसी (ग्वालपाड़ा) द्वारा अवैध रूप से अपने कार्य क्षेत्र खोखसी पंचायत (ग्वालपाड़ा) से दूसरे प्रखंड में उर्वरक भंडारण कर कालाबाजारी करने के आरोप में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- 1 जब्ती सूची की छाया प्रति - 1

Registered Udakisunganj P.S. Case No.
122/12 date 07/09/12 u/s 7 E.C. Act. S.I.
Nitesh Kumar will investigate
this case.

विश्वासभाजन
प्रखंड कृषि पदाधिकारी
मुरलीगंज
धमेन्द्र कुमार चौधरी
S/o श्री अखिलेश्वर प्रसाद चौधरी
ग्रा० - नीमाचकहदेर, थाना - कल्याणपुर
पो० - जनार्दनपुर
जि० - समस्तीपुर

जबरी सूची

28

आज दिनांक 05-09-2012 को अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (प्रतारी) एवं परिधानना कार्यपालक पदाधिकारी चौसा द्वारा संयुक्त रूप से श्री बालेश कुमार सिंह पंचायत अध्यक्ष-सोसनी प्रखण्ड-ज्वालपाड़ा, जिला-मधेपुरा द्वारा भव्य रूप से दूसरे प्रखण्ड उदाकि-भुनगंज में रामेश्वर गुप्ती के पुराना चीनी मिल के जगल में स्थित बड़ा सा गोदाम में सौचकमीरीकरण किया गया जिसमें निम्न सामग्री पाया गया और जिसका हवालनाच के क्रम में कोई भी भविष्य एवं ठेकरु का अंजार पंजी, फ्रीकी रसीद नहीं दिखाया गया।

उक्त सामग्री का नाम
 सामग्री का नाम
 मात्रा
 31/12/12
 पी.डी.

सामग्री - अनुमानतः

उर्वरक - IFFCO. NPK-20-20-0-13 = 710 बोरी	(50 किलो x 710)	(घात धांधला)
(2) चावल - (50 किलो x 1950 बोरी) -	1950 बोरी	
(3) धान	1615 बोरी	
कुल = 4275/- बोरी		(चार हजार दो सौ पचास)

जोडा
 31/12/12
 14/12/12
 14/12/12

उक्त सामग्री अनुमानित है बखरी पूरी सौच नहीं हो पायी, भागे बखरी पूर्ण रूप से सौच की जाएगी। फिलहाल ठेकरु विजयानंदी समिति के अध्यक्ष सह अयेलाधिकारी-उदाकिभुनगंज, पंचायत अध्यक्ष के साथ रिकु-छि, की उपस्थिति में गोदाम सील किया जाता है। और पंचायत अध्यक्ष के श्री बालेश सिंह प्रखण्ड ज्वालपाड़ा के एवं उनके मुख्य भादमी-दाला श्री दिहु सिंह का उक्त सामग्री सुरक्षित रखने के लिए सुंपुर्द किया जाता है।

परिधानना कार्यपालक
 पदा - उदाकिभुनगंज

अनुमंडल कृषि पदा
 मधेपुरा

प्रतिक्रिया - (1) अनुमंडल पदाधिकारी-उदाकिभुनगंज
 (2) धानाप्रतारी - उदाकिभुनगंज

TU 28

जब्ती-सूची

आज दिनांक 05.09.2012 को अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (प्रभारी) एवं परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी चौसा द्वारा संयुक्त रूप से श्री शैलेश कुमार सिंह पैक्स अध्यक्ष -- खोसंसो प्रखण्ड -- ग्वालपाडा, जिला -- मधेपुरा द्वारा अवैध रूप से दूसरे प्रखण्ड उदाकिशुनगंज में रामेश्वर गुर्मी के पुराना चीनी मिल के बगल में स्थित बड़ा सा गोदाम में औचक निरीक्षण किया गया जिसमे निम्न सामग्री पाया गया और जिसका स्थल जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख एवं उर्वरक का भंडार पंजी बिके रसीद नहीं दिखाया गया।

सामग्री -- अनुमानतः

(1) उर्वरक -- 1FFCO -- NPK -- 20-20-0-13 = 710 बोरी

(2) चावल -- (50 किलो x 1950 बोरी) -- 1950 बोरी

(3) धान ... 1615 बोरी

कुले = 4275/-- बोरी

(चार हजार दो सौ पचहत्तर)

उक्त सामग्री अनुमानित है इसको पूरी जाँच नहीं हो पायी, आगे इसकी पूर्णरूप से जाँच की जाएगी। फिलहाल उर्वरक निगरानी समिति के अध्यक्ष सह अचलाधिकारी -- उदाकिशुनगंज, पैक्स अध्यक्ष के साला रिकु सिंह, की उपस्थिति में गोदाम सील किया जाता है। और पैक्स अध्यक्ष के श्री शैलेश सिंह खोखसी ग्वालापाडा को एवं उनके मुख्य आदमी -- साला श्री रिकु सिंह को उक्त सामग्री सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्द किया जाता है।

परियोजना कार्यपालक

पदा० उदाकिशुनगंज

अनुमंडल कृषि पदा०

मधेपुरा

प्रतिलिपि:-

(1) अनुमंडल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज

(2) थाना प्रभारी उदाकिशुनगंज

(29)

अनुसूची 47, प्रपत्र सं०-118

8. परिवादी/सूचना दाता द्वारा सूचना देने में हुए विलंब का कारण :
-
-
9. चुराई गई/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों के व्योरे (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगायें)
-
-
-
10. * चुराई गई/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों का कुल मूल्य (Total value of properties stolen/involved/recovered).....
-
11. * अस्वाभाविक मृत्यु का सं०, यदि हो तो (U.D. Case No., if any)
-
12. प्राथमिकी की अन्तर्वस्तु (अलग से पन्ना लगायें, यदि आवश्यक हो)

30

(4)

13/9

जी 47, प्रपत्र सं-118

अपने हस्ताधिकार से वाह्य उपरिष्ठ का अंशान्ता करना 149
कालावाजारी करना।

वादी का दंडित प्रतिपक्ष 24 का 15 का मूल आधार
है जिसकी मूल प्रति मूल के साथ तथा कार्या प्रति एडवा प्रति
के साथ संलग्न है।

00=05
04=95
55x9= 04=95
02=50
12=45

मो. वा. के. प्र. लि. से म. /
13.09.12

07.09.12
आ. ए. ए. ए.
उ. ए. ए. ए. ए. ए.

की गयी कार्रवाई : चूंकि उपर्युक्त सूचना से मद सं० 2 में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है अतः
काइ दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया * श्री. ए. ए. ए. पदनाम श्री. ए. ए. ए. का अनुसंधान
करने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इन्कार किया/आधिकारिता के प्रश्न पर थाना को
अंतरित किया गया। प्राथमिकी परिवादी/सूचनादाता को पढ़कर सुनायी गयी। उसने उसे सही रूप में अभिलिखित किया गया,
पाकर स्वीकार किया और उसकी एक प्रति परिवादी/सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी। (Action taken : Since the above
report reveals commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No. 2 registered the case and took up the
investigation/directed Hank to take up the investigation.)

परिवादी/सूचना दाता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान।

थाना में न्यायालय में प्रेषण की तिथि एवं समय-

श्री. ए. ए. ए.
थाना प्रभारी का हस्ताक्षर

नाम (Name) श्री. ए. ए. ए.

पदनाम (Designation) आ. ए. ए. ए. उ. ए. ए. ए. ए.

13.09.12

13.09.12

Tu 29

अनुसुची 47, प्रपत्र सं० 118.

8. परिवादी सूचना दाता द्वारा सूचना देने में हुए विलंब का कारण ।

.....
.....

9. चुराई गई अन्तर्ग्रस्त सम्पत्तियों के ब्योरे (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगाये)

.....
.....
.....

10. चुराई गयी/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों का कुल मुल्य (Total Value of Properties stolen/involved)

.....

11. मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन/अस्वाभाविक मृत्यु कांड सं, यदि हो तो; Inquest report/U.D.Case No., if any) . . .

.....

12. प्राथमिकी की अन्तर्वस्तु (अलग से पन्ना लगाये, यदि आवश्यक हो)

अपने क्षेत्राधिकार से बाहर उर्वरक का भंडारण करना एवं कालाबाजारी करना।
वादी का टंकित प्रतिवेदन इस काण्ड का मूल आधार है जिसकी मूल प्रति के
साथ तथा कार्बन प्रति छाया प्रति के साथ संलग्न है।

	00-05	07.09.012
	04-95	थानाध्यक्ष
55 x 2	04-95	उदाकिसुनगज थाना
-----	02-50	
<u>Total -</u>	12-45	

मो० बारह क० पैंतालिश पैसे मात्र।

ह० अस्पष्ट

13.09.12

से कार्रवाई वृकि उपर्युक्त सूचना से मद स० 2 में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है
अतः कांड दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया - नितेश कुमार, पदनाम - पु० अ० नि० का अनुसंधान
करने का निर्देश दिया/ अनुसंधान करने से इन्कार किया/ आधिकारिता के प्रश्न पर थाना को अंतरित
किया गया। प्राथमिकी परिवादी/ सूचनादाता को पढ़कर सुनायी गयी। उसने उसे सही रूप में अभिलिखित किया
गया, पाकर स्वीकार किया और उसकी एक प्रति परिवादी/ सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी। (Action taken :
Since the above report reveals commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No.2
registered the case and took up the investigation/ directed Rank to take up
the investigation.)

14. परिवादी/ सूचना दाता का हस्ताक्षर/ अंगूठा का निशान।

15. थाना से न्यायालय में प्रेषण की तिथि एवं समय -

थाना प्रभारी का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर अस्पष्ट /-

नाम - सुरेश प्रसाद राम

पदनाम - थानाध्यक्ष उदाकिसुनगज थाना

NOTIFICATION BY GOVERNMENT

CO-OPERATION, FOOD AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT

REMOVAL OF (LICENSING REQUIREMENTS, STOCK LIMITS AND MOVEMENT RESTRICTIONS) ON SPECIFIED FOODSTUFFS ORDER, 2002

[G.O Ms. No.164, Co-operation, Food and Consumer Protection (B2) Dept., 17th April 2003]

&

[G.O. Ms No.311, Co-operation, Food and Consumer Protection (B2) Dept., 2nd September 2004]

APPENDIX

No.SRO A-22/2003.- The following Notification of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), New Delhi, the 15th February, 2002 is republished:-

G.S.R.104(E):- whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient to do so for securing the availability of commodities specified in the Order at fair prices throughout the country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby makes the following Order:-

1. Short Title, Extent and Commencement:

- (a) This Order may be called the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) On Specified Foodstuffs Order, 2002.
- (b) It extends to all the States and Union Territories of India
- (c) It shall come into force after thirty days from the date of Publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

- (i) "Dealer" means any person engaged in the business of purchase, movements, sale, supply, distribution or storage for sale of any of the commodities specified in clause 3 whether as a wholesaler or retailer or producer or manufacturer or exporter or importer and whether or not in conjunction with any other business and includes his representative or agent but does not include a producer or manufacturer or importer or exporter of sugar.
- (ii) "State Government" includes Administration of a Union Territory

3. With the coming into effect of this Order any dealer may freely buy, stock, sell, transport, distribute, dispose, acquire, use or consume any quantity of

wheat, paddy/rice, coarsegrains, sugar, edible oilseeds and edible oils, pulses, gur, wheatproducts (Namely maida, rava, suji, atta, resultant atta and bran) and hydrogenated vegetable oil or vanaspathi and shall not require a permit or license therefor under any order issued under the Essential Commodities Act, 1955.

4. The provisions of this Order shall take effect notwithstanding anything to the contrary in any Order made by a State Government before the commencement of this Order except as respects anything done, or omitted to be done, thereunder before such commencement.
5. Issue of any order by State Governments under powers delegated in GSR 452(E) dated the 25th October, 1972 issued by the Government of India in the then Ministry of Agriculture (Department of Food) and GSR 800(E) dated the 9th June, 1978 issued by the Government of India in the then Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) for regulating by license, permit or otherwise, the storage, transport, distribution, disposal, acquisition; use or consumption of any of the commodity specified in clause 3 shall require the prior concurrence of the Central Government.
6. Nothing contained in this Order shall affect the operation of the Public Distribution System (Control) Order, 2001 issued by the Central Government and Orders of the State Governments issued in pursuance thereof.
7. Nothing contained in this Order shall affect the operation of the levy orders issued by the State Government for the purpose of procurement of rice as levy from the millers or dealers of paddy or rice in pursuance of the powers delegated to the State Government by the Central Government under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

Note- 1: 1. The Principal Order was published in the Gazette of India vide GSR No.104 (E), dated 15.02.2002.

2. The Amendment order was published in the Gazette of India vide GSR 490 (E), dated 16.06.2003.

[F.No.10/1/2002-ECR & E]

Sd/-S.NAUTIYAL,
Additional Secretary to GOI

Note- 2: 1. The principal order was published in G.O.Ms.No.164, Co-op, Food & CP Dept., dated, 17th April 2003 Tamil Nadu Government Gazette No.18, Part-III, Section 1(a) dated 07.05.2003 at page 48.

2. Amendment Order was published in G.O.Ms.No.311, Co-operation, Food and Consumer Protection (B2) Department, dated: 02.09.2004.

Sd/-S.RAMAKRISHNAN
Secretary to Government of TN
Co-op., Food & CP Dept.,
Chennai - 600 009

Anne 24 - 8

33

FORM No. 35-F-01



HST VAT TIN No. 10050009078

CSI VAT TIN No. 10050009175

INDIAN FARMERS FERTILISER CO-OPERATIVE LIMITED

STATE OFFICE : LOK NAYAK BHAWAN, 6th FLOOR, PATNA - 800001

AREA OFFICE : CHUNAPUR ROAD, SIPAHITOLA, PURNEA- 854301

To: RELEASE ORDER

RO No.: 1300/16

The Warehouse Manager, C.W.C./SWC/Society.....

RO Date: 17/08/2012

Jai Luxu KSSSS Ltd

PARTY CODE : CHPR

Please deliver the material as per details given below :-

Name and Address of Society	Product	No. of Bags	Qty (in MT)	Remarks
Jai Luxu KSSSS Ltd Block - Lwalpara Dist. Madhepura	NPKS. 20/20/10	1325	66 = 250	1 Rate PMT 15090/- 2 D D No RTCS. 3 Date 16-08-12 4 Amount 1000000/- 5 Bank SBI Udaipur
	IN WORDS	one thousand three hundred twenty five	Sixty six M.T. (MT)	

Signature of Authorised Representative of the Society

OF INDIAN FARMERS FERTILISER CO-OPERATIVE LTD

RS 287 = 50 excess.

Signature Seal & P. No.

11094716

Copy 1st : Office, 2nd : Customer, 3rd : (Along with Invoice) AO/SO With D/D, 4th : A O/S O. 5th : Issuing Office.

कृषि एवं कृषि सहायक संघ, पटना - 06454-227090
मालमंडी, मधेपुरा

FR, IFFCO
MADHEPURA (BIHAR)

FORM NO. 35-F-01

Annexure: 8

Type Copy 33

BST VAT TIN No. 10050009078
CST VAT TIN No. 10050009175

IFFCO

INDIAN FARMERS FERTILISER CO-OPERATIVE LIMITED
STATE OFFICE: LOK NAYAK BHAWAN, 6TH FLOOR, PATNA - 800001
AREA OFFICE: CHUNAPUR ROAD, SIPAHITOLA, PURNEA - 854301
RELEASE ORDER No. 1300716

To,
1. The Warehouse Manager, C.W.C./SWC/Society: Jai Buru KSSSSHQ,
PARTY CODE: CBPR
RO Date: 17/08/2012

Please deliver the material as per details given below:-

Name and address of society	Product	No. of Bags	Qty. (in MT)	Remarks
Khoksi PACS Ltd. Block Gwalpara District Madhepara	NPPK 20/20/0/13	1325	66=250	1. Rate PMT: 15090/- 2. D.D.No.: RTGS 3. Date: 16.08.12 4. Amount 1000000/- 5. Bank: SBI, UdaKishunganj
	One thousand three hundred			
	twenty five Bags			
	Sixty six MT and Two			
	Hundred Fifty K.g.			

Signature of Authorized Representative of the Society For INDIAN FARMERS FERTILISER CO-OPERATIVE LTD.

Rs. 287=50 excess

Sd/-

Sd/-

शैलेश कुमार सिंह
अध्यक्ष
श्रीवशी प्राथमिक कृषि साख समिति लि०,
- गालपाड़ा, मधेपुरा।

Signature Seal and P.No. 109274
PRAVEEN KUMAR MISHRA
FR, IFFCO,
MADHEPURA (BIHAR)

Annex 8/1


34

क्र.सं.	विवरण	जोशम न०-1 रामगंज			जोशम न०-2 उदाकि कुनगांज			कुल शेष
		जमा	विक्री	शेष	जमा	निकासी	शेष	
08.12	N.P.K	-	-	-	100	-	100	100
10.12	N.P.K	-	-	-	300	-	400	400
11.08.12	N.P.K	-	-	-	400	-	800	800
08.12	N.P.K उदाकि कुनगांज से रामगंज	100	-	100	-	100	700	800
11.08.12	N.P.K उदाकि कुनगांज से रामगंज	200	-	300	-	200	500	800
3.08.12	N.P.K विक्री	-	05	295	-	-	500	795
5.08.12	N.P.K विक्री	-	02	293	-	-	500	793
8.08.12	N.P.K विक्री	-	02	291	-	-	500	791
13.09.12	N.P.K	-	-	291	290	-	780	1071
03.09.12	N.P.K	-	-	291	245	-	1025	1316
03.09.12	N.P.K उदाकि कुनगांज से रामगंज	210	-	501	-	210	815	1316
04.09.12	N.P.K उदाकि कुनगांज से रामगंज	105	-	606	-	105	710	1316

Annexure 8/1

दिनांक	विवरण	गोदाम नं-1		गोदाम नं-2		शेष	कुल शेष
		जमा	बिक्री	शेष	बिक्री		
18.08.12	N.P.K	-	-	-	-	100	100
19.08.12	N.P.K	-	-	-	-	400	400
20.08.12	N.P.K	-	-	-	-	800	800
20.08.12	N.P.K	-	-	-	-	400	800
20.08.12	उदाकिशुनगज से रामगज	100	-	100	-	700	800
21.08.12	N.P.K	-	-	-	-	500	800
21.08.12	उदाकिशुनगज से रामगज	200	-	300	-	500	800
23.08.12	N.P.K बिक्री	-	5	295	-	500	795
25.08.12	N.P.K बिक्री	-	2	293	-	500	793
28.08.12	N.P.K बिक्री	-	2	291	-	500	791
03.09.12	N.P.K	-	-	291	-	780	1071
03.09.12	N.P.K	-	-	291	-	1025	1316
03.09.12	N.P.K	-	-	215	-	815	1316
03.09.12	उदाकिशुनगज से रामगज	210	-	501	-	815	1316
04.09.12	N.P.K	-	-	-	-	710	1316
04.09.12	उदाकिशुनगज से रामगज	105	-	606	-	710	1316

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.6411 of 2012



Mina Devi, wife of Santosh Mahto, village Pipara, Ps Madhepur, Dist.
Madhubani

..... Petitioner/s

Versus

- 1 The State Of Bihar
- 2 The Agriculture Officer, Madhepur, Madhubani

..... Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s : Mr. Dhananjaya Nath Tiwari
For the Respondent/s : Mr. Nirbhay K.Singh Gp26

CORAM: HONOURABLE JUSTICE SMT. SHEEMA ALI KHAN
ORAL ORDER

2 09-04-2012

Heard learned counsel for the petitioner and

the State.

This writ petition has been filed for a direction to release the seized fertilizer in connection with Madhepur PS case No. 174/2011 under section 7 of the Essential Commodities Act and 35(1) A and 28(1)A of the Fertilizer Control Order, 1985.

On inspection it was found that the said fertilizers were kept in a godown for which licence was granted. On the basis of the aforesaid fact, the seizure was made.

Learned counsel for the petitioner refers to clause 31 of the Fertilizer Control Order wherein it is provided that once there is an order of cancellation or

WEF
NOT

suspension of licence, the petitioner would be obliged to sell the entire stock within thirty days or else it would be confiscated by the Collector. In the present case the petitioner's licence has been suspended and as such his case would be covered by 2nd proviso to clause 31. It may be noted that there is no allegation against the petitioner that he was attempting to sell the fertilizer in black market.

Considering the facts aforesaid, the fertilizers are directed to be released in favour of the petitioner on production of a copy of this order in Madhepur PS Case No. 174/2011 to the satisfaction of the Additional Chief Judicial Magistrate, Jhanjharpur, Madhubani, subject to the result of the confiscation proceeding, if any.

Apart from the prayer for release of the fertilizer, counsel for the petitioner also submits that the godown which has been sealed should be unlocked by the authorities concerned. There is no provision for sealing the godown in question under the Fertilizer Control Order. In view of the aforesaid fact, the petitioner's godown should be unsealed forthwith on production of a copy of this order.

This writ petition is disposed of with the aforesaid observations and directions.

37

Counsel for the petitioner may deposit the cost of Fax for communicating this order to the court of the Additional Chief Judicial Magistrate, Jhanjharpur.

(Sheema Ali Khan, J)

W E F
NO
haque/-